(405)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र0 निगरानी 25-I-15

पुलकेश तनय शोभाराम भारती
निवासी – नई दिल्ली हाल निवास सेवाग्राम
खजुराहो , तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. कोमल तनय मरियां धोबी
2. रामस्वरूप तनय मरियां धोबी

निवासीगण – राजनगर , तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर म0प्र0 .... गैरनिगरानीकर्तागण

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजनगर के अपील प्रकरण क्र0 31/अपील/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.12..2014 से परिवेदित होकर अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है :–

–: निगरानी के तथ्य :–

1. यह कि ग्राम राजनगर की भूमि खसरा नं0 2623/5 , 2825 कुल किता 02 एकत्र रकवा 0.166 हे0 एवं भूमि खसरा नं0 2821/2, 2823, 2826/2, 2827, 2828 कुल किता 05 एकत्र रकवा 1.981 हे0 एवं भूमि खसरा नं0 2818, 2819 , 2821/1 , 2822 , 2824, 2826/1 , 2829 कुल किता 07 एकत्र रकवा 1.922 हे0 का खाता पूर्व में राजस्व अभिलेख में गैरनिगरानीकर्तागण एवं उनकी मॉ रामप्यारी वेवा मरियां धोबी के नाम से दर्ज थी ।
2. यह कि उक्त भूमि का विभाजन निगरानीकर्तागण ने हल्का पटवारी से नामांतरण पंजी क्र0 144 वर्ष 2011–12 आदेश दिनांक 15.12.2012 को कराया गया था तथा विभाजन के पूर्व गैरनिगरानीकर्तागण ने भूमि खसरा नं0 2623/5 में से रकवा 0.077 हे0 2821/2 में से रकवा 0.336 हे0 , 2822 रकवा 0.821 हे0 , 2824 रकवा 0.170 हे0 , 2823 रकवा 0.192 हे0 , 2826/2 में से रकवा 0.582 हे0 , 2825 रकवा 0.012 हे0 , 2827 रकवा 0.016 हे0 , 2826/1 में से रकवा 0.144 हे0 , 2829 रकवा 0.125 हे0 कुल किता 11 एकत्र रकवा

क्रमशः //2//

पुलकेश कुमार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-25-एक/2015 जिला छतरपुर

पुलकेश विरूद्ध कोमल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24-12-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	